भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1873

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**विदेशी कानूनी फर्म़ों तक पहुंच बनाने की अनुमति दिया जाना**

**1873 श्री संजय सेठ :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की प्रमुख कानूनी फर्म़ों में व्याप्त दारूण कार्य-दशाओं की जानकारी है ;

(ख) क्या कानून क्षेत्र में कार्य करने के घंटों को विनियमित करने के लिए कोई कानून हैं; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार की विदेशी कानूनी फर्म़ों को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के माध्यम से भारतीय कानून बाजार तक पहुंच बनाने की अनुमति देने की योजना है ; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :**  भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कथन किया है कि उन्हें देश के प्रमुख विधि फर्मों में विद्यमान कामकाजी स्थिति से संबंधित कोई प्रमुख शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, उन्हें कुछ मुवक्किलों से कुछ फर्मों द्वारा अधिक फीस लिए जाने और फीस इत्यादि के बदले में काम न करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

**(ख) और (ग) :** विधिक क्षेत्र में काम के घंटों को विनियमित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद का ऐसा कोई नियम नहीं है। वकालत का व्यवसाय अधिवक्ताओं के कठोर परिश्रम की अपेक्षा करता है और इसलिए किसी मामलें में किसी अधिवक्ता द्वारा लगाए गए कार्य के घंटों की मात्रा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिसकें अंतर्गत मामलें में अंतर्वलित मुद्दों की जटिलता, मुवक्किल द्वारा सुसंगत सामग्री के रुप में प्रदान की गई सहायता, आदि भी है।

**(घ) और (ङ) :** भारत के विधि आयोग ने विदेशी विधि फर्मों के प्रवेश मुद्दे पर मार्च, 2017 में भारत सरकार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक व्यवसाय का विनियमन) शीर्षक से अपनी 266वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारतीय विधिज्ञ परिषद बनाम ए. के. बालाजी और अन्य**, 2015 शीर्षक की सिविल अपील सं0 7875-7879 में अपने तारीख 13.03.2018 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि विदेशी विधिक फर्म भारत में अपने कार्यालय स्थापित नहीं कर सकती हैं या भारतीय न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकती हैं, किंतु ‘काम के लिए आइए और काम करने के पश्चात् चले जाइए’ के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधिक मुद्दों पर विदेशी विधि के बारे में विधिक सलाह देने के लिए अस्थायी अवधि के लिए विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, यदि यह व्यवसाय की कोटि में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मामला माध्यस्थम् संस्थान के विशिष्ट नियम से शासित होता है या यदि मामला अन्यथा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32 और धारा 33 के अधीन आता है, तो भारत में ऐसी कार्यवाहियों के संचालन के लिए विदेशी वकीलों को कोई पाबंदी नहीं है । यहां तक कि ऐसे मामलों में, भारत में विधि व्यवसाय के लिए लागू आचार संहिता, यदि कोई हो, का अनुसरण किया जाना है । यह भारतीय विधिज्ञ परिषद या केंद्रीय सरकार के लिए है कि यदि उचित समझे तो, वे इस संबंध में विनिर्दिष्ट उपबंध बनाये । माननीय उच्चतम न्यायालय का तारीख 13.03.2018 का निर्णय और भारत के विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*